



डा० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०

सेक्टर-११, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड,  
लखनऊ-२२६०३१

### कार्यालय ज्ञाप

कोरोना वायरस (कोविड-१९) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-५ द्वारा दिनांक २२ मार्च, २०२० को निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-६७९ / पाच-५-२०२० द्वारा कतिपय अन्य जनपदों के साथ लखनऊ भी दिनांक २५ मार्च, २०२० तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतया बन्द (लॉकडाउन) घोषित किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संस्थान, घटक संस्थान तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान दिनांक ३१ मार्च, २०२० तक बन्द रहेंगे। विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि-

१. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहेंगे।
२. विश्वविद्यालय के वाहन चालकों को अपरिहार्य परिस्थितियों में आकस्मिक सेवाओं के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है।
३. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-५ द्वारा निर्गत उपर्युक्त शासनादेश में वर्णित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
४. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह भी अपेक्षित है कि वे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संग्रहण को रोकने हेतु जो उपाय प्रसारित किये जा रहे हैं उनको अपनाएंगे तथा उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ यह अपेक्षा भी की जाती है कि विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक विश्वविद्यालय की गरिमा के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे एवं शासन द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों के अनुपालन में पूर्ण सहयोग करेंगे।

विश्वविद्यालय के लेखा अथवा कतिपय अन्य अनुभागों को अपरिहार्य परिस्थिति में आवश्यकतानुसार इस अवधि के दौरान खोला जा सकता है, जिसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

  
(डा० आर० के० सिंह)  
उप कुलसचिव

दिनांक: २३ मार्च, २०२०

पत्रांक: ए०के०टी०यू० / कुस०कैम्प / २०२० / १६३०

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. प्रति कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
२. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
३. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
४. निदेशक, आई०ई०टी०, लखनऊ।
५. अधिष्ठाता, फैकल्टी आफ आर्किटेक्चर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
६. निदेशक, उ०प्र० डिजाइन इंस्टीट्यूट, सेक्टर-६२, नोएडा कैम्पस, ए०के०टी०यू०, नोएडा।
७. निदेशक, सेन्टर फार एडवास स्टडीज, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
८. निदेशक/प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।
९. परीक्षा नियंत्रक/उप परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त परीक्षा नियंत्रक ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
१०. अधिष्ठाता/सह अधिष्ठाता, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
११. प्रोग्रामर/टेक्निकल आफिसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
१२. सहायक कुलसचिव/व्यवस्थाधिकारी/विधि अधिकारी/स्टाफ आफिसर/जन सम्पर्क अधिकारी/सम्पत्ति प्रभारी/मीडिया प्रभारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
१३. स्टाफ आफीसर कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
१४. समस्त कर्मचारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
१५. नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।

  
(डा० आर० के० सिंह)  
उप कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-5  
संख्या:-679 / पांच-5-2020  
लखनऊ, दिनांक : 22 मार्च, 2020

### कार्यालय आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों (लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पीलीभीत) में दिनांक 23 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम/मंडल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतया बंद रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है:-

1. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2. चिकित्सा शिक्षा
3. गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार(पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल)
4. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
5. ऊर्जा (समस्त विजली के कार्यालय व बिलिंग सेन्टर)
6. नगर विकास
7. खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल)
8. आपदा एवं राहत/राज्य सम्पत्ति विभाग
9. सूचना, जनसम्पर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी
10. अग्नि शमन/सिविल डिफेन्स
11. आपात कालीन सेवाएं
12. टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आईटी० इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आईटी० संबंधित सेवाएं, ऐसे डेटा सेन्टर जो आईटी० सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है
13. डाक सेवाएं
14. बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियाँ
15. ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रॉसरी)
16. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया
17. पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
18. दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाईयों की निर्माण इकाईयाँ
19. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाईयाँ एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता।
20. पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयाँ एवं विक्रेता।

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड इयूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपिरहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (Inter State), अन्तराराज्यीय (Intra State) संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मीलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकर्षिक स्थित में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर/पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जाएं।


05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकठ्ठे होने की पूर्णता मना ही रहेगी। किसी भी सामाजिक/सारकृतिक/राजनैतिक/धार्मिक/शैक्षणिक/खेल/संगोष्ठी/सम्मेलन/धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारों का आयोजन, प्रदर्शनियों आदि भी निषिद्ध रहेगी।

यदि किसी स्थापना/सेवा के संबंध में यह भ्रम हो कि वह आवश्यक सेवाओं में आता है या नहीं तो उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को होगा।

सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एतद्वारा अपने क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में कठोरतापूर्वक अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस सुविधा उपलब्ध करायी जायगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे। भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश/स्पष्टीकरण निर्गत करेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
22.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-679(1) / पांच-५-२०२० तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

२०१९  
२२/०३/२०२०

आज्ञा से,  
*A. S.* / २२.३.२०

(अमित मोहन प्रसाद)  
प्रमुख सचिव।